



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, बेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 03/03/2020

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा. विधि. 1-77/2019 ...7.3.5... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अन्तर्गत कारमेघ उत्तरी पैक्स का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार कारमेघ उत्तरी पैक्स के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 03.04.2020 (शुक्रवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 260 दिनांक 27.01.2020 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2020 एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि दिनांक 17.02.2020 निर्धारित की गयी थी।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

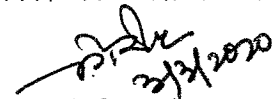
- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

कारमेघ उत्तरी पैक्स के निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 07.03.2020 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा। मतगणना मतदान के पश्चात् उसी दिन संपन्न करा ली जाएगी। अनुलग्नक-2 पर प्रपत्र-ई० 1 में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। सभी प्रपत्रों “ई” (यथा-ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अतः सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु “निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाइट www.bsea.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लेखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।


(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 735.....

पटना/ दिनांक : 03/03/2020

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

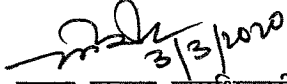
ज्ञापांक : ...735...

पटना/ दिनांक : 03/03/2020

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), मधुबनी/ पुलिस अधीक्षक, मधुबनी/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०), मधुबनी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), खुटौना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2019 की भाँति इस चुनाव में भी दिनांक 20.03.2020 तक अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है।

3. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), मधुबनी से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...735...

पटना/ दिनांक : 03/03/2020

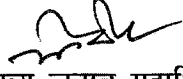
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...735...

पटना/ दिनांक : 03/03/2020

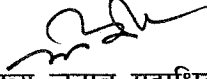
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...735...

पटना/ दिनांक : 03/03/2020

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

कारमेघ उत्तरी पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम :

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
1.	सूचना का प्रकाशन	07 मार्च, 2020 (शनिवार)
2.	नामांकन देने के अवधि	23.03.2020 (सोमवार) एवं 24.03.2020 (मंगलवार)
3.	संवीक्षा की तिथि	25.03.2020 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	27.03.2020 (शुक्रवार)
5.	मतदान	03.04.2020 (शुक्रवार)
6.	मतगणना	03.04.2020 (मतदान के तुरंत पश्चात्)
7.	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	07.04.2020 (मंगलवार)

समिति का निर्वाचन

प्रपत्र-ई 1

सूचना का प्रपत्र

जिला प्रखंड के अन्तर्गत (समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक को किया जाना है,

मैं निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक से दिनांक तक बजे से बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक को (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

* (vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा।

(Viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक को निर्मांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांक को बजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्थान-
चिह्न

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर